	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 18, गुरूवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 10, 2019 *Asvina 18, Thursday, Saka 1941–October 10, 2019*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, सितम्बर 06, 2019

संख्या एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/3275 :-सां.आ. संख्या-114/2019 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47-क के उप नियम (2) सपठित नियम 78(6) के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी अध्यक्षीय एवं सदस्य पदों के लिए उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन (**EVM**) की कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को ऐसी विधि से मुद्राबंद (**Sealed**) करेगा और पृथकत: सुरक्षित (**Secure Separately**) करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे।

अत: उक्त नियम के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग कन्ट्रोल यूनिट **(CU)** और बैलेट यूनिट **(BU)**/यूनिट्स को मतदान की समाप्ति के पश्चात् मुद्राबंद (**Sealed**) करने और उन्हें पृथकत: सुरक्षित (**Secure Separately**) करने के लिये पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3149 दिनांक 06.11.99 (सांविधिक आदेश संख्या 29/99) को अधिक्रमित करते हुए निम्नांकित निर्देश जारी करता है :-

1. मतदान समाप्त होने के पश्चात् **'Close'** बटन का कैप हटाकर **'Close'** बटन दबाएं एवं **'Close'** बटन का कैप वापस लगाए।
2. कन्ट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच बंद (**Off**) कर कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट/यूनिट्स को वियोजित (**Disconnect**) किया जावे।
3. बैलेट यूनिट/यूनिट्स तथा कन्ट्रोल यूनिट को पुन: उनके वहन बक्से (**Carrying Boxes**) में रख दिया जावे।
4. वहन बक्सों की दोनों ओर इस प्रयोजन के लिये बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्राबंद कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्राबंद करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टयां दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकार इन्हें चपड़ी से मुद्राबंद कर देवें।
5. कन्ट्रोल यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टयों में नगरपालिका का नाम, अध्यक्ष/वार्ड सदस्य संख्या, कन्ट्रोल यूनिट का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख आदि अंकित की जाएगी।
6. बैलेट यूनिट/यूनिट्स पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टयों में :-
    - अध्यक्ष पद हेतु नगरपालिका का नाम, निर्वाचन का विवरण (यथा महापौर/सभापति/अध्यक्ष का निर्वाचन), मतदान यूनिट/यूनिट्स का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख अंकित की जायेगी।

- सदस्य पद हेतु नगरपालिका का नाम, निर्वाचन का विवरण (यथा सदस्य का निर्वाचन) वार्ड संख्या, बैलेट यूनिट/यूनिट्स का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख अंकित की जायेगी।

7. **इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंण्डिया लिमिटेड़ (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों से यदि एक से अधिक पदों के लिए मतदान कार्य होता है तो अध्यक्ष/सदस्य दोनों पदों के लिए उपयोग में ली गई** बैलेट यूनिटों के लिए एक ही कन्ट्रोल यूनिट होगी।

8. अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हों, उन्हें भी एड्रेस टैगों पर मुद्रा लगाने की अनुमति दी जावे।

आज्ञा से,

शुचि त्यागी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
एवं सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।